अपील प्रकरण क्रमांक ए/2284/2013

24/09/2014

प्रकरण विडियों कांफ्रेंसिंग में प्रस्तुत। अपीलार्थी श्री पूरनचंद जायसवाल, निवासी ग्राम राजपूर थाना व तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर सूचना के बावजूद अनुपस्थित। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। परंतु प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है। उत्तरवादी श्री निरंजन एक्का उपस्थित। उत्तरवादी ने बताया कि सहकारी समिति सूचना के अधिकार के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं है।

चूंकि इस प्रकरण में उत्तरवादी एक सहकारी समिति है एवं वांछित सूचनायें इस सहकारी समिति से संबंधित है सहकारी समितियों के सबंध में मान0 उच्च न्यायालय छ0ग0 के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लयू.पी. (सी) 5817/2008 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित विरूद्ध राज्य सूचना आयोग रायपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2011 का पैरा क्र0 21 निम्नानुसार है :–

" The aforesaid statutory scheme of control by state and its functionaries in the matter of registration, framing and enactment of bye-laws and fuction of co-operative societies including a co-operative bank goes to show that the nature of control exercisebale by the state and itfunctionaries in respected of the co-operative societies is regulatory in nature. Therefore, such regulatory nature of control in the absence of there being any other attributes, of deep and pervasivecontrol in administration financial spheres, leads to the conclusion that the co-operative societies in genral and co-operative bank like the pettitionerone do not come within the control of such degree as is intended under (i) of clause 2(h) of the Act of 2005 defining "public authority."

इस प्रकार मान0 उच्च न्यायालय के अनुसार प्रदेश की सहकारी समितियां, अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उन पर लागू नहीं होता। इस प्रकरण में भी उत्तरवादी एक सहकारी समिति है इसलिए अधिनियम उन पर लागू न होने के कारण इस अपील पर कोई अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई जाती।

प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त